पुस्तकालय

2
32-97
12/4/13

सत्यमेव जयते

असंशोधित

2 APR 2013

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),184-डी०टी०पी०-1,500

प्रतिवेदक शाखा
बी०स०पं०सं० 1044 तिथि 12-4-2013

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३ "

अध्यक्षः- माननीय सदस्यगण, अब मैं "आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३" को लेता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः- प्रश्न यह है किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

अध्यक्षः- माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्षः- यह पुरःस्थापित हुआ। अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूँ।

विचार का प्रस्ताव।

अध्यक्षः- माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३" पर विचार हो।

अध्यक्षः- बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १२२ (१) के तहत माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह का विधेयक के सिद्वांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्वांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा। क्या माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद सिंहः- हम मूभ नहीं करेंगे।

अध्यक्षः- अब मैं जनमत जानने का प्रस्ताव लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद सिंहः- हम मूभ नहीं करेंगे।

अध्यक्षः- प्रश्न यह है किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३" दिनांक ३१ जुलाई, २०१३ तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्षः- अब मैं इसे संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री अखतरुल इस्लाम शाहिन द्वारा इसे संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री अखतरुल इस्लाम शाहिन अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे।

श्री अखतरुल इस्लाम शाहिनः- मूभ करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३" को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दें।"

अध्यक्ष महोदय,जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया,वही मुझे भी आपत्ति के साथ कहना है कि फरवरी से हमारा सेशन चल रहा है,आज अप्रील महीने में आ गये,हमारे पास पर्याप्त समय रहा,उसके बावजूद आनन-फानन में संशोधन पेश किया जाना, यह प्रतीत करता है कि सरकार अपने मनोनुकूल संशोधन पारित कराना चाहती है,क्योंकि इसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें इस संशोधन में लगी,जो यूनिवर्सिटी विद्यालयों को सरकारीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,विधेयक के खंड-३ में प्रतिकुलपति की परिभाषा ख्यातिप्राप्त विद्वान से संबोधित की गयी है। कथित ख्यातिप्राप्त विद्वान का मानदंड क्या होगा,उसका चयन कैसे किया जायेगा,इसके बारे में विस्तार से कहीं भी कोई क्राईटेरिया नहीं बताया गया है,जबकि पहले तमाम लोग जानते थे कि चांसलर, गवर्नर के पास राज्य सरकार प्रस्तावित कुछ नामों को करती थी,उसका सलेक्शन गवर्नर के द्वारा किया जाता था। यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार अपने समर्थकों को प्रो-वाईसचांसलर, प्रतिकुलपति के पद पर बिठाना चाहती है,यह कहीं से, किसी भी प्रेसटिजियस यूनिवर्सिटी को देखा जाय, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी को देखा जाय, इसतरह का प्रोविजन देश के किसी भी युनिवर्सिटी में नहीं है,साथ ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के खंड ३ के १२ (क) में प्रतिकुलपति के पुर्ननियुक्ति का मामला पुर्ननियुक्ति तीन साल का कार्यकाल जो पहले से तय है,उसको दोबारा बहाल किया जाय या परिवर्तन किया जाय,यह भी अधिकार ये यूनिवर्सिटी से छीनकर अपने हाथों में राज्य सरकार लेना चाहती है। राज्य सरकार अपने निर्देशित कार्यक्रमों को यूनिवर्सिटी में थोपना चाहती है कि वह राज्य सरकार के प्रो होकर काम करें,अगर वह प्रो होकर काम नहीं करती है,तो उनको हटाया जाय,अगर प्रो-गवर्नमेंट काम करती है,तो उसको रखा जाय,इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें यू०जी०सी० की तरफ से विशेषज्ञों की एक टीम गठित होनी चाहिए,जो तय करें,जो मूल्यांकन करें, कि इसका कार्यकाल कैसा रहा है प्रो-वाईसचांसलर का और उसके निदेश पर,कमिटी के रिर्पोट पर,उसके मूल्यांकन पर, ही तय हो कि प्रो वी०सी० को नियुक्ति किया जाय अथवा नहीं किया जाय, साथ ही यह सरकार प्रतिकुलपति को हटाने का निर्णय अपने हाथ में लेने का संशोधन ला रही है,मैं इसका भी प्रतिकार करता हूँ कि उसपर कोई भी आरोप हो,अगर राज्य सरकार उसको हटाना चाहती है,तो उसके लिए भी एक जांच कमिटी होनी चाहिए,गैर सरकारी संस्थान हो, उसमें यू०जी०सी० के लोग हो, वह तय करें कि इनके उपर लगाये गये आरोप वास्तविक रुप से सही है या नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करुंगा कि मेरे संशोधन पर ध्यान दिया जाय।

अध्यक्षः- प्रश्न यह है किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३" को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथिसे तीन माह के अंदर दे।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

175

अध्यक्षः- प्रश्न यह है किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३" पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्षः- अब मैं खंडशः लेता हूँ। खंड २, ३, ४ में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है किः-

खंड २, ३, ४ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, ३, ४ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्षः- प्रश्न यह है किः-

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्षः- प्रश्न यह है किः-

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्षः- प्रश्न यह है किः-

नाम इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव।

अध्यक्षः- अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

"आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३"स्वीकृत हो।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दलः- महोदय, हलॉकि बहुत हद तक विरोध में तो नहीं, मगर जो सुझाव है हमारा, वह तो सरकार मानेगी नहीं, मगर फिर भी जो संवैधानिक संस्था है, जो भी संवैधानिक संस्था है, उसके प्रति हमारा और आपका दायित्व है कि हमारा संवैधानिक संस्था के प्रति आदर होना चाहिए, व्यक्ति के प्रति अनादर हो सकता है, मगर संवैधानिक संस्था के प्रति अनादर करना और संवैधानिक संस्था को कमजोर करना और संवैधानिक संस्था को पंगु बनाना ।

क्रमशः

समाज में सम्मान का पात्र हो और जिसे समाज,राज्य और देश मे उसकी विद्वता के कारण सम्मानित किया जाता हो । महोदय, यह कतिपय सरकार की कदापि यह भावना नहीं है कि किसी मनोनुकूल व्यक्ति को वहां स्थापित कर दिया जाय । अगर ऐसा किया जाना होता तो किसी प्रध्यापक का प्रावधान यहां किया जाता कि ऐसा व्यक्ति जो इतने वर्षों से अधिक समय प्रध्यापक रहा हो, किसी विश्वविद्यालय का, वह नहीं करके ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : रिटायर्ड आई०ए०एस०,आई०पी०ए० भी बैठ सकते हैं इस पद पर ।

श्री पी०के०शाही, मंत्री : रिटायर्ड आई०ए०एस०,आई०पी०एस० को हेय दृष्टि से देखना भी उचित नहीं हैं, उनमें बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत ऐसे हैं, जिन्होंने भारत एवं विदेशों के विश्वविद्यालयों से पी०एच०ई०डी०,डाक्टरेट,लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स,हार्बर्ड से ऐसे-ऐसे भी आई०ए०एस०,आई०पी०एस० पदाधिकारी भी हैं, अगर वे विद्वान हैं, तो क्यों नहीं बनाये जा सकते हैं ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : स्कीम बना दीजिये न, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ।

श्री पी०के०शाही,मत्री : महोदय, समाज में कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में अगर प्रतिष्ठित है, अगर उसमें अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित कराने का काम किया है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि नेता, प्रतिपक्ष को ऐसे व्यक्ति का ज्ञान का लाभ लेने में उम्र का लिहाज करके आपत्ति क्यों हो रही है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है । इसलिए महोदय, इन दो पदों की आवश्यकता महसूस की गयी है और इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये ये संशोधन प्रस्तावित है । मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि प्रस्तावित संशोधन को पारित करने की कृपा करें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : महोदय, मेरा मानना है कि प्रो-भीसी० का पद तुरंत भरा जाय, वित्तीय सलाहकार का पद भरा जाय । मगर सरकार की कोशिश है संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का, इस विरोध में हमलोग बहिष्कार करते हैं

(इस अवसर पर आर०जे०डी०के सभी माननीय सदस्यगण सदन के बाहर चले गये)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (सशोधन) विधेयक,२०१३स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (सशोधन) विधेयक,२०१३ स्वीकृत हुआ ।

......

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं "बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक,२०१३" लेता हूं ।

बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक,२०१३

श्री अवधेश कुमार राय : अध्यक्ष महोदय,मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं । मैंने इसमें एक संशोधन दिया था, वह संशोधन हमारे आर्डरशीट में नहीं है ।

अध्यक्ष : वह अनुमान्य नहीं था, इसलिए उसको अस्वीकृत किया गया है ।

श्री अवधेश कुमार राय : यह बिल बिहार के लिए एक काला बिल है । इसलिए मैंने संशोधन दिया था कि इसको निरस्त किया जाय ।

अध्यक्ष : नियमानुकूल नहीं पाया गया ।

श्री अवधेश कुमार राय : यह काला बिल है, यह बिहार के लिये सर्वनाश का बिल है, इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(इस अवसर पर मा०स०श्री अवधेश कुमार राय ने सदन का बहिष्कार किया)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री पी०के०शाही,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक,२०१३ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक,२०१३ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री पी०के०शाही,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूं । माननीय प्रभारी मंत्री ।